रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 1972/फाल्गुन 23, 1893

No. 140] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 1972/PHALGUNA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

WEALTH-TAX

New Delhi, the 13th March 1972

S.O. 184(E).—In the corrigenda to the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1971, published with the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 5241, dated the 22nd November, 1971, at pages 3153-3154 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th November, 1971,—

(1) at page 3153,—

(i) in line 3, *for* "INCOME-TAX" *read* "WEALTH-TAX";

(ii) in line 9, *for* "1404" *read* "1400";

(iii) in line 10, *for* "colum" *read* "column";

(iv) in line 11, *for* "1404" *read* "1401";

(2) at page 3154,—

(i) in line 5, *for* "Value Rs. " *read* "Value Rs. ";

(ii) in line 6, *insert* ";" at the end

[No. 58/F. No. 143(1)/71-TPL]

R. R. KHOSLA, Secy

Central Board of Direct Taxes

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

शुद्धि पत्र

धन-कर

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1972

एस० ओ० 184(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), दिनांक 24 नवम्बर, 1971/3 अग्रहायण 1893 (शक) में प्रकाशित 22 नवम्बर 1971 के शुद्धि-पत्र का० आ० 5241 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

(1) पृष्ठ 3154 पर दूसरी पंक्ति में "अधिसुचना सं० 63/फा० सं० 743" को "अधिसूचना सं० 63/फा० सं० 143" पढ़ा जायगा ।

(2) उसी पृष्ठ पर, क्रम सं० 2 की दूसरी पंक्ति में "स्थिन" को "स्थित" पढ़ा जायगा ।

(3) पृष्ठ सं० 3155 पर क्रम सं० (5) की पहली पंक्ति में तीसरे शब्द "तर" को "पर" पढ़ा जायेगा ।

(4) उसी पृष्ठ पर क्रम सं० (9) की पहली पंक्ति में छठे शब्द "शीष" को "शीर्ष" पढ़ा जायेगा ।

(5) उसी पृष्ठ पर क्रम सं० (13) की पहली पंक्ति में "मूल्याकन" और "मूल्यांकन" शब्दों का स्थान परस्पर बदल जाएगा ।

(6) उसी पृष्ठ पर क्रम सं० (19) की पहली पंक्ति के अंतिम शब्द "वृत्तिया" को "वृत्तियां" पढ़ा जायेगा ।

[सं० 59/फा० सं० 143(1)/71—टी० पी० एल०]

आर० आर० खोसला,

सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972